न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 964 / 2024

अनवान : –

1. बसकरो पुत्री पतराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 15/04/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 353 / 350 की कुल 3.7940 हैक्ट भूमि में से 1 / 48 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादीया का नाम सुन्दर पुत्री पतराम दर्ज है जबकि वादीया का सही एवं वास्तविक नाम बसकरो पुत्री पतराम है जो कि वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान–पत्र, जनआधार कार्ड आदि में दर्ज है इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादीया अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादीया अपना नाम सुन्दर के स्थान पर बसकरों राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा वादीया के नाम के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित कि गई है कि सुन्दर व बसकरों एक ही व्यक्ति के नाम है एवं राजस्व रिकाड्र में प्रार्थीया का नाम सुन्दर जरिये विरासत नामान्तरण दर्ज हुआ है। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबदी, वादीया के पहचान संबंध दस्तावेज, सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा वादीया के नाम के संबंध में तस्दीक पेश की गई जो की शामिल मिसल किये गये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादीया का नाम सुन्दर पुत्री पतराम दर्ज है जबकि वादीया का सही एवं वास्तविक नाम बसकरो पुत्री पतराम है जो कि वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान–पत्र, जनआधार कार्ड आदि में दर्ज है इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादीया अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादीया अपना नाम सुन्दर के स्थान पर बसकरों राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.22 17:22:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 353/350 की कुल 3.7940 हैक्ट भूमि में से 1/48 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में वादीया का नाम सुन्दर दर्ज है एवं वादीया अपना नाम सुन्दर के स्थान पर बसकरों दर्ज करवाना चाहती है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात में वादीया का नाम बसकरों अंकित है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम जरिये विरासतन नामान्तरण दर्ज हुआ है एवं सरपंच ग्राम पंचायत ननाउ द्वारा भी वादीया के नाम के सबंध में तस्दीक पेश की गई है। अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादीया स्वीकार योग्य है।

अतः वादीया द्वारा साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता स0 353/350 की कुल 3.7940 हैक्ट भूमि में से 1/48 हिस्सा भूमि में **वादीया का नाम सुन्दर पुत्री पतराम के स्थान पर सुन्दर उर्फ बसकरों पुत्री पतराम के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सुन्दर पुत्री पतराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सुन्दर पुत्री पतराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया का नाम सुन्दर पुत्री पतराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/04/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ्तर हों ।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.22 17:22:10 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 964 / 2024

अनवान : –

1. बसकरो पुत्री पतराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 964 सन 2024 निर्णय दिनांक 15/04/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता स0 353 / 350 की कुल 3.7940 हैक्ट भूमि में से 1 / 48 हिस्सा भूमि में **वादीया का नाम सुन्दर पुत्री पतराम के स्थान पर सुन्दर उर्फ बसकरों पुत्री पतराम के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सुन्दर पुत्री पतराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सुन्दर पुत्री पतराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया का नाम सुन्दर पुत्री पतराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.22 17:22:10 IST
Reason: SelfAttested